37TH ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE THROUGH VC/OAVM
PUBLISHED IN FINANCIAL EXPRESS (ENGLISH)
DELHI EDITION on 09.07.2026 AT PAGE NO. 22

LIGHT UP THE WORLD

FIEM INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Unit No. 1A & 1C, First Floor, Commercial Towers, Hotel JW Marriott, Aerocity, New Delhi-110037
Tel: +91-9821795327/28/29/30, **E-mail:** investor@fiemindustries.com
Website: www.fiemindustries.com **CIN:** L36999DL1989PLC034928

Re: 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND RECORD DATE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Fiem Industries Limited ("the Company") will be held on Friday, July 31, 2026 at 10:30 a.m. through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 read with the circulars issued earlier in this regard (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted holding of the AGM through VC/OAVM, without physical presence of the Members at a common venue. In compliance with MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013, read with Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2025-26, including the Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2026 ("Annual Report") has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the RTA or Depository Participant. Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a letter providing a web-link of Company's website and a QR code for accessing the Notice of the AGM and the Annual Report is being sent by ordinary post to those members who have not registered their email IDs.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide e-voting facility to its members to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM. The electronic voting facility will be provided by MUFG Intime India Pvt Ltd. **(MUFG Intime).**

All the members hereby informed that:

a) The ordinary and special business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means i.e. 'Remote e-Voting before AGM' or 'e-Voting during AGM';
b) Day, date, time of commencement of Remote e-voting: **Monday, July 27, 2026 (1000 Hours IST);**
c) Day, date, time of end of Remote e-voting: **Thursday, July 30, 2026 (1700 Hours IST).**
d) The Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the Remote e-voting Platform would be disabled by MUFG Intime thereafter.
e) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **July 24, 2026** may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of MUFG Intime.
f) Members may note that:
  (i) the Remote e-Voting module shall be disabled by MUFG Intime after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
  (ii) Members who have cast their vote by Remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the AGM.
  (iii) Members participating in the AGM and who had not cast their vote by 'Remote e-voting', shall be entitled to cast their vote through 'e-Voting during the AGM'.
g) Any person, who acquire shares of the Company and become a member of the Company after dispatch of Notice of 37th AGM and hold shares as of the cut-off date i.e. **July 24, 2026** may refer the instructions for e-voting as set out in the Notice of the AGM to cast their votes or may send a request at **enotices@in.mpms.mufg.com** or Call on Tel : 022 - 49186000.
h) Mrs. Ranjana Gupta, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the voting by "Remote e-voting" as well as "e-Voting during the AGM" in a fair and transparent manner.

The Notice of the AGM and Annual Report is available on the website of the Company at **www.fiemindustries.com** on the website of BSE at **www.bseindia.com** and NSE at **www.nseindia.com** and also on the website of MUFG Intime (India) Pvt. Limited at **https://instavote.linkintime.co.in.** Further, Annual Report can be directly accessed at the following link on website of the Company i.e. **https://fiemindustries.com/annual-reports/**

Dividend and Record Date:
Pursuant to Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, as amended, Company has fixed **Friday, July 24, 2026** as **Record Date** for determining the entitlement of members for final dividend for FY 2025-26 on Equity Shares, if declared at the AGM.

As per the SEBI Master Circular dated February 6, 2026, payment of dividend to members holding shares in physical mode shall only be made electronically. Such payment shall be made only after they have furnished their Permanent Account Number, Contact Details (Postal Address, Mobile Number and E-mail), Bank Account Details, Specimen Signature, etc., for their corresponding physical folios with the Company/ RTA (i.e. MUFG Intime India Pvt Ltd.). Please refer to SEBI FAQs by accessing the link: **https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2026/1767611333081.pdf** (FAQ No. 47 & 48)

The shareholders, who have not registered their email address & mobile with the Company/RTA/Depositories and/or not updated the Bank Account mandate for receiving the dividend directly in their Bank Account through Electronic Clearing Service (ECS), are requested to register / update the above details immediately, in the following manner:

(i) Registering / updating the details with DP: In case the Shares held in demat mode, such shareholder should register / update the email address, mobile no., bank account details and other KYC in his / her demat account as per process advised by the DP.
(ii) Registering / updating the details with RTA: In case the shares held in physical mode, the shareholders should immediately register / update the email ID, mobile and other KYC details by submitting prescribed Form ISR-1 at e-mail **investor@fiemindustries.com** or sending at registered office of the Company. Shareholders may download the prescribed Forms from the Company's website at **https://fiemindustries.com/investor-services-forms/** under Investor section, or from website of RTA **https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html**

In case of any query or grievances in relation to holding the AGM through VC/OAVM, Remote e-voting, e-Voting during AGM; members may send the same at below mentioned addresses / officer of the Company / RTA:

Particulars	Fiem Industries Limited	MUFG Intime India Private Limited
Address	Unit No. 1A & 1C, First Floor, Commercial Towers, Hotel JW Marriott, Aerocity, New Delhi-110037	C-101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (West) Mumbai 400083
Name & Designation	Mr. Arvind K. Chauhan, Company Secretary	Mr. Rajiv Ranjan Astt. Vice-President
Tel:	**+91-130- 2367905 to 10**	**+91-022 – 49186000**
E-mail ID	**investor@fiemindustries.com**	enotices@in.mpms.mufg.com

- **Shareholders are encouraged to exercise their voting rights, e-Voting makes it simpler.**
- **Shareholders are advised to convert their physical shares in dematerialized form for ease of holding, transferability and other associated benefits.**
- **Shareholders are advised to claim their Unpaid Dividend(s) well before transfer to IEPF. Once the Dividend / Shares transferred to IEPF, any claimant of Dividend / shares shall be entitled to claim back the same from IEPF in accordance with prescribed procedure and on submission of necessary documents only.**

For Fiem Industries Ltd.
Sd/-
Arvind K. Chauhan
Company Secretary

Date : 09/07/2026
Place : Gurugram

37TH ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE THROUGH VC/OAVM
PUBLISHED IN JANSATTA (HINDI)
DELHI EDITION on 09.07.2026 AT PAGE NO. 25

फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

LIGHT UP THE WORLD

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 1ए और 1सी, प्रथम तल, कमर्शियल टावर्स, होटल जेडब्ल्यू मैरियट, एरोसिटी, नई दिल्ली–110037
टेलीफोन: 91–9821795327 / 28 / 29 / 30, ई–मेल: investor@fiemindustries.com
वेबसाइट: www.fiemindustries.com सीआईएन : L36999DL1989PLC034928

विषय: 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई–वोटिंग तथा रिकॉर्ड तिथि की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि बैठक की सूचना में बताए गए कामकाज को पूरे किए जा सकें।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 22 सितंबर, 2025 के अपने जनरल सर्कुलर नंबर 03/2025 (और इस संबंध में पहले जारी किए गए सर्कुलर, जिन्हें सामूहिक रूप से 'एमसीए सर्कुलर' कहा जाता है) के तहत, सदस्यों की किसी एक जगह पर शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए सर्कुलर और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों (साथ ही इसके तहत बने नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम")) का पालन करते हुए, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों सहित एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी गई है, जिनके ईमेल पते आरटीए या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट से लेने के लिए एक वेब–लिंक और एक क्यूआर कोड प्रदान करने वाला एक पत्र साधारण डाक के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जा रहा है, जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक (एसएस–2) के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी अपने सदस्यों को, एजीएम में पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (**एमयूएफजी इनटाइम**) द्वारा प्रदान की जाएगी।

सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :

क) एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है, अर्थात 'एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग' या 'एजीएम के दौरान ई–वोटिंग';

ख) रिमोट ई–वोटिंग आरंभ होने का दिन, तिथि, समय : **सोमवार, 27 जुलाई, 2026 (1000 बजे आईएसटी);**

ग) रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने का दिन, तिथि, समय : **गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 (1700 बजे आईएसटी)**

घ) उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा उसके बाद एमयूएफजी इनटाइम द्वारा रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफार्म निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ङ) कट–ऑफ तिथि 24 जुलाई, 2026 को भौतिक अथवा अभौतिक (डीमैटीरियलाइज्ड) रूप में शेयरों के धारक सदस्य एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसायों पर अपना वोट एमयूएफजी इनटाइम के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं।

च) सदस्यगण नोट करें कि :

(i) एमयूएफजी इनटाइम द्वारा उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) जो सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट एजीएम से पूर्व डाल चुके होंगे, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा पुनः अपना वोट डालने के हकदार नही होंगे।

(iii) एजीएम में भाग ले रहे जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नही डाला होगा, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे।

छ) कोई भी व्यक्ति, जो 37वीं एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि यानी 24 जुलाई, 2026 तक शेयर रखता है, वह अपना वोट डालने के लिए एजीएम की सूचना में दिए गए ई–वोटिंग के निर्देशों का संदर्भ ले सकता है या enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेज सकता है या टेलीफोन : 022 – 49186000 पर कॉल कर सकता है।

ज) श्रीमती रंजना गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव, को रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोटिंग तथा 37वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा मतदान की संवीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.fiemindustries.com पर बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर और एमयूएफजी इनटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट को सीधे कंपनी की वेबसाइट यानी निम्न लिंक पर देखा जा सकता है https://fiemindustries.com/annual-reports/

लाभांश और रिकॉर्ड तिथि:

यह भी सूचित किया जाता है कि संशोधित लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, इक्विटी शेयरों पर वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अंतिम लाभांश (यदि एजीएम में घोषित किया जाता है) के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में **शुक्रवार, 24 जुलाई 2026** को तय किया है।

6 फरवरी, 2026 के सेबी मास्टर सर्कुलर के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा भुगतान तभी किया जाएगा जब वे कंपनी/आरटीए (यानी एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के पास अपने संबंधित फिजिकल फोलियो के लिए अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, संपर्क विवरण (डाक का पता, मोबाइल नंबर और ई–मेल), बैंक खाते का विवरण, नमूना हस्ताक्षर आदि उपलब्ध करा देंगे। कृपया इस लिंक पर जाकर सेबी के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें : https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2026/1767611333081.pdf (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न नंबर 47 और 48)।

जिन शेयरधारकों ने कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता और मोबाइल पंजीकृत नहीं किया है और/या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक खाता अधिदेश को अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त विवरण तुरंत निम्नलिखित तरीके से पंजीकृत/अपडेट करें:

(i) डीपी के पास विवरण पंजीकरण/अद्यतनीकरण: यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं, ऐसे शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई–मेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाते में, डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत/अद्यतित करवा लें।

(ii) आरटीए के साथ विवरणों को पंजीकरण/अद्यतनीकरण: भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, शेयरधारकों को ई–मेल investor@fiemindustries.com पर निर्धारित फार्म ISR-1 जमा करके ईमेल आईडी, मोबाइल और अन्य केवाईसी विवरणों को तुरंत पंजीकृत/अपडेट करना चाहिए। अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजें। शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट https://fiemindustries.com/investor-services-forms/ से निवेशक अनुभाग के तहत या आरटीए की वेबसाइट https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम, रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले मेंय सदस्य इसे नीचे दिए गए पते / कंपनी / आरटीए के अधिकारी को भेज सकते हैं:

विवरण	फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पता	यूनिट नं. 1ए और 1सी, प्रथम तल, कमर्शियल टावर्स, होटल जेडब्ल्यू मैरियट, एरोसिटी, नई दिल्ली–110037	सी–101, 247 पार्क एलबीएस मार्ग, विखरोली, (पश्चिम) मुंबई 400083
नाम और पदनाम	श्री अरविंद के. चौहान, कम्पनी सचिव	श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष
फोन	+91–130–2367905 से 10 तक	+91–022–49186000
ई–मेल आईडी	investor@fiemindustries.com	enotices@in.mpms.mufg.com

- शेयरधारकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, ई–वोटिंग इसको आसान बनाती है।
- शेयरधारकों को शेयरों के धारण, हस्तांतरण की आसानी और अन्य संबद्ध लाभों के लिए अपने भौतिक शेयर अभौतिक (डीमैटीरियलाइज्ड) रूप में बदलवा लेने की सलाह दी जाती है।
- शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अदत्त लाभांश की मांग, उसको आईईपीएफ को अंतरित किए जाने से पूर्व ही कर लें। लाभांश/शेयर एक बार आईईपीएफ को अंतरित कर दिए जाने के बाद, निर्धारित प्रक्रिया अपना कर तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करके ही उसको आईईपीएफ से मांगने का हकदार है।

वास्ते फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./–
अरविन्द के. चौहान
कम्पनी सचिव

तिथि : 09/07/2026
स्थान : गुरुग्राम